

न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपसहायिका (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम सुश्री शोभा कोचर (आरखए0एएग0)

वाद सं0 52 संन 2022

अनदान :-

1 जगदीश सांगर पुत्र आशासाम जाति कुम्हार निवासी समगड तहसील नोहर जिला हनुमानगड।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिगे तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगड।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अनर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956 उपस्थित - श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिकारता प्रार्थी निर्णय दिनांक - 21/1/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिगे अधिकारता यह प्रार्थना पत्र अनर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24 7140 हैक्ठूम भूमि का मुस्तारका खातेदार कास्तकार है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण जगदीश पुत्र आशासाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम जगदीश सांगर पुत्र आशासाम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम जगदीश सांगर पुत्र आशासाम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद भूमि में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र आशासाम के स्थान पर जगदीश सांगर पुत्र आशासाम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेटोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निरस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिकारता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के नाम रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24 7140 हैक्ठूम भूमि का मुस्तारका खातेदार कास्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण जगदीश पुत्र आशासाम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम जगदीश सांगर पुत्र आशासाम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

(2)

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम जगदीश सांगर पुत्र आशाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे


पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140 हैक् भूमि का मुश्तरका खातेदार कार्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र आशाराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम जगदीश सांगर पुत्र आशाराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम जगदीश सांगर पुत्र आशाराम दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार का ऐतराज नहीं होने पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140 हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र आशाराम के स्थान पर जगदीश सांगर पुत्र आशाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना बहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/7/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
गोहर ( हनुमानगढ )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर  
दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व/रीडर/2022/

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 52/2022 अनवानी जगदीश बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. जगदीश सांगर पुत्र आशाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 52/2022 अनवानी जगदीश बनाम सरकार में दिनांक 21/07/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 391/236 की कुल 24.7140 हेक् भूमि में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र आशाराम के स्थान पर जगदीश सांगर पुत्र आशाराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )